

**विभाग वार फिल्म शूटिंग हेतु फीस की जानकारी**

क्र.	विभाग का नाम	फीस (प्रतिदिन में )	सुरक्षा निधि
1	ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	रु. 25000/-	रु.50000/-
2	वन विभाग	परिशिष्ट अ	परिशिष्ट अ
3	उच्च शिक्षा विभाग	रु. 5000/-	रु. 50000/-
4	पुलिस (गृह विभाग)	परिशिष्ट ब	परिशिष्ट ब
5	स्कूल शिक्षा विभाग	रु. 5000/-	रु. 50000/-
6	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	रु. 100000/-	
7	पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय	रु.50000/-	रु. 100000/-
8	लोक निर्माण विभाग	रु. 50000/- फिल्म हेतु रु. 20000/- धारावाहिक/वेब सीरीज हेतु	
9	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	रु. 5000/- + GST (1-3 घंटे) रु. 10000/- + GST (3-8 घंटे) (अतिरिक्त सीमित अवधि हेतु रु. 1500/- + GST प्रति घंटा) मिनटों हॉल - 50000/-+ GST (अतिरिक्त समय हेतु रु 15000/- +GST प्रति 2 घंटे)	
10	मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड	आन्तरिक भाग - रु. 5000/- बाह्य भाग - रु. 1000/-	रु. 50000/-

**वन विभाग द्वारा जारी फिल्म शूटिंग हेतु दर**

क्र.	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान	अन्य फिल्म निर्माताओं के लिये (फीस रु/दिन में)
		(फीस रु./दिन में)	
1	मध्य प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों विस्तारित पर्यटन जोन, कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अभयारण्यों को समाहित करते हुए एवं ऐसे पर्यटन जोन जो आंशिकतः कोर एवं बफर दोनों	10,000 (प्रथम 7 दिवस)	40,000 (प्रथम 7 दिवस)
		7,500 (8वें से 15वें दिवस)	30,000 (8वें से 15वें दिवस)
		5,000 (16वें दिन से आगे)	20,000 (16वें दिन से आगे)
2	मध्य प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्वों के बफर क्षेत्र में विस्तारित पर्यटन जोन तथा फेन अभयारण्य	8,000 (प्रथम 7 दिवस)	32,000 (प्रथम 7 दिवस)
		6,000 (8वें से 15वें दिवस)	24,000 (8वें से 15वें दिवस)
		4,000 (16वें दिन से आगे)	16,000 (16वें दिन से आगे)
3	माधव राष्ट्रीय उद्धान एवं गांधी सागर, नौरादेही, रातापानी, कूनो पालपुर, खिवनी अभयारण्य	5,000 (प्रथम 7 दिवस)	20,000 (प्रथम 7 दिवस)
		3,750 (8वें से 15वें दिवस)	15,000 (8वें से 15वें दिवस)
		2,500 (16वें दिन से आगे)	10,000 (16वें दिन से आगे)
4	(i) फॉसिल राष्ट्रीय उद्धान घुघुवा, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्धान धार	2,000 (प्रथम 7 दिवस)	8,000 (प्रथम 7 दिवस)
		1,500 (8वें से 15वें दिवस)	6,000 (8वें से 15वें दिवस)
		1,000 (16वें दिन से आगे)	4,000 (16वें दिन से आगे)
	(ii) सैलाना, सरदारपुर, घाटीगांव, करेरा, केन घडियाल, सोन घडियाल, राष्ट्रीय चंबल, नरसिंहगढ़, बगदरा, वीरांगना दुर्गावती, सिंधोरी, ओरछा अभयारण्य	1,500 (8वें से 15वें दिवस)	6,000 (8वें से 15वें दिवस)
		1,000 (16वें दिन से आगे)	4,000 (16वें दिन से आगे)

नोट :- उपरोक्त समस्त दरें केवल प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास के रिकार्डिंग के लिए मान्य हैं  
अन्य किसी प्रकार के फिल्मांकन के लिए विशेष दरें लागू होंगी जो उपरोक्त दर से पांच गुना से कम नहीं होंगी ।

पुलिस (गृह विभाग) द्वारा जारी फिल्म शूटिंग हेतु दर							
क्रं.	विभाग	लोकेशन	वर्तमान शुल्क	वर्तमान सुरक्षा निधि	प्रस्तावित शुल्क	प्रस्तावित सुरक्षा निधि	रिमार्क
1	गृह विभाग	पुलिस स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र पु.मु.बटालियन हॉल एवं परिसर मेस शूटिंग रेंज इत्यादि	निश्चित नहीं है	निश्चित नहीं है	रु. 25,000/- प्रतिदिन	50,000/- प्रतिदिन	
		सरकारी रेस्ट हाउस, सफिट हाउस, सरकारी क्वार्टर, पुलिस कालोनी,			रु. 5,000/- प्रतिदिन	रु. 5,000/-	
2	सामान्य प्रशासन विभाग में दर्शाया गया है, जबकि इसे गृह विभाग में होना चाहिए	पुलिस और यातायात (सामान्य अनुमति)	आंशिक रूप से निश्चित		शुल्क रहित	5,000/-	
		पुलिस वाहन			रु. 5,000/- प्रतिदिन	5,000/-	
		सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बल			वास्तविक के अनुसार (2200/-)	आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस बल के लिए अग्रिम भुगतान का प्रावधान रखा गया है।	म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-एफ/3-14/2009/बी-3/दो भोपाल दि० 31.07.2018 एवं दिनांक 10.10.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस गार्ड के लिए संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि निम्नानुसार हैं--

क्रं.	पद का नाम	पूर्व निर्धारित दरें		नवीन निर्धारित दरें (प्रति व्यक्ति)	
		प्रति व्यक्ति वार्षिक दर	प्रति व्यक्ति दैनिक दर	वार्षिक दर (स्थायी गार्ड)	दैनिक दर (अस्थायी गार्ड)
1	निरीक्षक	1189400	3600	1233900	3780
2	उप निरीक्षक	1172200	3025	1216000	3180
3	सहायक उप निरीक्षक	691575	2925	717300	3070
4	प्रधान आरक्षक	678375	2000	703500	2100
5	आरक्षक	674600	1900	699600	2000

(अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) द्वारा अनुमोदित)